तारीख हुक्म	[illegible] बनाम [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज [illegible] 118/2012	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा चाही गई वांछित तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वास्ते प्राप्त होने तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर पत्रावली दिनांक 15.06.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
15.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा चाही गई वांछित जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 959/भू.अ./2023 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विनिमय – अदला बदली तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर कुल राशि 35250/– रूपए प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 व पार्टी नम्बर 2 से राज्यकोष में जमा करवाये जाने की शर्त पर स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.06.21 17:37:20 IST Reason: SelfAttested 15/06/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
118/2022	2022/481	28.12.2022	15.06.2023

उनवान प्रकरण

1. जवाहरराम आयु 80 वर्ष पुत्र भूराराम
2. भगवान सहाय उम्र 75 साल पुत्र भूराराम
3. झाबरमल उम्र 40 साल
4. बहादुर सिंह उम्र 38 साल
5. विनोद कुमार उम्र 36 साल

पुत्रगण रामनाथ

6. प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ उम्र 60 साल जाति समस्त जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी डेरावाली–कल्याणपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

–पार्टी नम्बर 1–

एंव

1. शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद आयु 50 साल
2. सुआ देवी पत्नी फूलचन्द सामोता आयु 45 साल
3. अन्नू देवी पत्नी नागरमल आयु 40 साल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी डेरावाली कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–पार्टी नम्बर 2–

–प्रार्थीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

15/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—अप्रार्थी—

उपस्थित :—

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत् विनिमय—अदला बदली

(अन्तर्गत धारा 49 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 व पार्टी नम्बर 2 ने एक प्रार्थना पत्र विनिमय खिलाफ अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 1.1500 है0 एवं खसरा नम्बर 1807 लगायत 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.6100 है0 का कुल 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 के नाम जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1622 रकबा 0.0600 है0 एंव 1925/1623 रकबा 1.9280 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9880 हैक्टर में कुल हिस्सा 1/9 एंव खसरा नम्बर [illegible]2/1621, 1923/1621 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 हैक्टर व खसरा नम्बर 1624, 1926/1625,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

15/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1927/1625 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1894/1619, 1895/1619 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4800 हैक्टर में कुल हिस्सा 1/2 एंव खसरा नम्बर 1928/1626, 1929/1626 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0900 हैक्टर में कुल हिस्सा 1/8 की प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 2 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान् प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 एंव पार्टी नम्बर 2 ने उक्त कृषि भूमियों को एकजाही करने एंव काश्त की सुविधा के लिए भूमियों की किस्म बारानी चाही एंव उपजाउ व अनउपजाउ के हिसाब से आपसी सहमति से काफी समय पूर्व से अदला बदली करके मुताबिक अदला बदली मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसके अनुसार पार्टी नम्बर 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमियों पर पार्टी नम्बर 2 काबिज काश्त चली आ रही है तथा पार्टी नम्बर 2 के नाम दर्ज भूमियों पर पार्टी नम्बर 1 काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त भूमियों को काफी खर्चा करके एंव मेहनत करके विकसित एंव उपजाउ बना रखी है। इसलिए पक्षकारान के नाम भूमियों की खातेदारी उक्तानुसार अदला बदली कर खातेदारी से पार्टी नम्बर 1 का नाम हजफ किया जाकर पार्टी नम्बर 2 के नाम खातेदारी दर्ज करने एंव पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर पार्टी नम्बर 1 के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। मुताबिक अदला बदली भूमियों की खातेदारी प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज नहीं होने से पक्षकारान् को सख्त हक तलफी है एंव पक्षकारान् को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी हो रही है। इसलिए अदला बदली अनुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विनिमय अदला बदली पेश कर राजस्व ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 1.1400 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1807 लगायत 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.5000 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से पार्टी नम्बर 1 जवाहरराम, भगवानसहाय पुत्रगण भूराराम, झाबरमल, बहादुरसिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: Self Attested

15/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नी रामनाथ का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार पार्टी नम्बर 2 क्रमशः शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद, सूआ देवी पत्नी फूलचन्द सामोता, अन्नूदेवी पत्नि नागरमल के नाम बहिस्सा बराबर-बराबर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाने एंव राजस्व ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1622 रकबा 0.0600 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1925/1623 रकबा 1.9280 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9880 हैक्टर में 1/9 हिस्सा की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/27 व भगवानसहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/27 एंव झाबरमल, बहादुरसिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नी रामनाथ हिस्सा 1/27 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 1922/1621, 1923/1621 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 हैक्टर व खसरा नम्बर 1624, 1926/1625, 1927/1625 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3 व भगवान सहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3 एंव झाबरमल, बहादुर सिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ हिस्सा 1/3 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 1894/1619, 1895/1619 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4800 हैक्टर मे हिस्सा 1/2 की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/6 व भगवानसहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/6 एंव झाबरमल, बहादुर सिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ हिस्सा 1/6 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 1928/1626, 1929/1626 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0900

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

15/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हैक्टर हिस्सा 1/8 की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/24 व भगवानसहाय पुत्र भूराराम हिस्स 1/24 एंव झाबरमल, बहादुरसिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ हिस्सा 1/24 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विनिमय अदला-बदली में किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विनिमय को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये साधारण तरीके से नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस असालतन तामील होकर आया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू0अ0/2022/959 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिषंशा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विनिमय में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 व पार्टी नम्बर 2 के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना तथा पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से काफी समय पूर्व से अदला बदली किया जाना तथा उसी अनुसार वर्तमान में मौके पर पूर्णत काबिज काश्त होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

15/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ये तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 1.1500 है0 एवं खसरा नम्बर 1807 लगायत 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.6100 है0 का कुल 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 के नाम एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1622 रकबा 0.0600 है0 एंव 1925/1623 रकबा 1.9280 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9880 हैक्टर में कुल हिस्सा 1/9 एंव खसरा नम्बर 1922/1621, 1923/1621 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 हैक्टर व खसरा नम्बर 1624, 1926/1625, 1927/1625 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1894/1619, 1895/1619 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4800 हैक्टर में कुल हिस्सा 1/2 एंव खसरा नम्बर 1928/1626, 1929/1626 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0900 हैक्टर में कुल हिस्सा 1/8 की प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 2 के नाम खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसका पक्षकारान् पार्टी नम्बर 1 व पार्टी नम्बर 2 के मध्य आपस में किये जाने वाली अदला बदली के अन्तर्गत उक्त वर्णित भूमियों में पार्टी नम्बर 1 के हिस्से में 1.94 हैक्टर चाही प्रथम भूमि तथा पार्टी नम्बर 2 के हिस्से में 2.35 हैक्टर बारानी भूमि आना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमियों की किस्म व रकबे में अन्तर होना पटवारी व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से होना पाया जाता है। जिसके अनुसार सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 1215537/– प्रति हैक्टर की दर से सिंचित भूमि 1.94 हैक्टर भूमि की मालियत 2358141/– रूपए तथा असिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 811215/– प्रति हैक्टर की दर से असिंचित भूमि 2.35 हैक्टर भूमि की मालियत 1906355/– रूपए होती है। जिसकी अन्तर मूल्यांकन राशि 2358141–1906355 —— 451786/रूपये बनती है। जिस पर वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी0 दरों अनुसार कुल 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क 27110/ रूपए तथा उस पर देय सरचार्ज राशि 8140/–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

15/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रूपये कुल राशि 35250/– रूपए प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 व पार्टी नम्बर 2 से राज्यकोष के जरिये चालान जमा लिया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विनिमय अदला बदली तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर कुल राशि 35250/– रूपए प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 व पार्टी नम्बर 2 से राज्यकोष के जरिये चालान जमा लिये जाने की शर्त पर प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विनिमय अदला बदली तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर कुल राशि 35250/– रूपए प्रार्थीगण पार्टी नम्बर 1 व पार्टी नम्बर 2 से राज्यकोष के जरिये चालान जमा करवाये जाने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 1.1500 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1807 लगायत 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.6100 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से पार्टी नम्बर 1 जवाहरराम, भगवानसहाय पुत्रगण भूराराम, झाबरमल, बहादुरसिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नी रामनाथ का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार पार्टी नम्बर 2 क्रमशः शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद, सूआ देवी पत्नी फूलचन्द सामोता, अनूपदेवी पत्नी [illegible] के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1622

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

13/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रकबा 0.0600 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1925/1623 रकबा 1.9280 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9880 हैक्टर में 1/9 हिस्सा की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/27 व भगवानसहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/27 एंव झाबरमल, बहादुरसिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नी रामनाथ हिस्सा 1/27 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जावे तथा खसरा नम्बर 1922/1621, 1923/1621 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 हैक्टर व खसरा नम्बर 1624, 1926/1625, 1927/1625 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3 व भगवान सहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3 एंव झाबरमल, बहादुर सिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ हिस्सा 1/3 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जावे तथा खसरा नम्बर 1894/1619, 1895/1619 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4800 हैक्टर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/6 व भगवानसहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/6 एंव झाबरमल, बहादुरसिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ हिस्सा 1/6 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जावे तथा खसरा नम्बर 1928/1626, 1929/1626 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0900 हैक्टर हिस्सा 1/8 की खातेदारी से पार्टी नम्बर 2 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी पार्टी नम्बर 1 के नाम हिस्सानुसार जवाहरराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/24 व भगवानसहाय पुत्र भूराराम हिस्स 1/24 एंव झाबरमल, बहादुरसिंह, विनोद कुमार पुत्रगण रामनाथ, प्रभाती देवी पत्नि रामनाथ हिस्सा 1/24 बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

15/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया जावें। तद्नुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested